कार्यालय पुलिस उपायुक्त यातायात, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी ।

प्रेसनोट

दिनांक-12/02/2024

एक अदद चार पहिया वाहन TATA NEXON

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नेरट वाराणसी द्वारा गम्भीर अपराधों की रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त,यातायात कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त, यातायात कमिश्नरेट वाराणसी, सहायक पुलिस आयुक्त यातायात व यातायात निरीक्षक मुख्यालय श्री पंकज कुमार तिवारी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 10.02.2024 को TSI श्री दुर्गेश कुमार सरोज प्रभारी कमाण्ड सेण्टर सिगरा द्वारा पूर्व प्राप्त अशोक राय पुत्र स्व सुदर्शन राय निवासी बरखा चमेनिया थाना धुंधली जनपद महाराजगंज उ0प्र0 द्वारा, सूचना पर कि उनके वाहन संख्या यूपी 67 जेड 2300 का चालान गोदौलिया चौराहे पर हुआ है जबकि उक्त वाहन उनके घर पर खड़ी है, की जाँच में कमाण्ड सेन्टर पर मौजूद होकर जरिये सीसीटीवी फुटेज चेक किया जा रहा था कि ज्ञात हुआ कि एक चार पहिया वाहन टाटा नेक्सान जिसपर उक्त नम्बर प्लेट यूपी 67 जेड 2300 लगा है। लहुराबीर से मरीमाई तिराहा मुख्य मार्ग पर बढ़ रहा है। उक्त के सम्बन्ध में मेरे द्वारा मरी माई तिराहा पर तैनात ट्रैफिक पुलिस को अवगत कराया गया, जिस पर वाहन उपरोक्त को मय चालक के साथ रोकवाकर चेक किया गया, दौराने चेकिंग मैं उ0नि0 उपस्थित आया तथा वाहन चालक से नाम-पता पूछा गया तो अपना नाम अश्वनी कुमार सिंह पुत्र स्व राजकिशोर सिंह पता- फ्लैट नम्बर-बी-204 श्रीनाथ आर्चिड माला रोड स्टेशन कोटा, राजस्थान उम्र 39 वर्ष बताया तथा ड्राइविंग लाइसेन्स व गाड़ी के कागजात माँगे गये तो वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर-RJ-20CF4853 चेसिस नम्बर-MAT627221JLD19423 मिला। वाहन स्वामी अश्वनी कुमार सिंह पुत्र स्व0 राजकिशोर सिंह, पता- फ्लैट नम्बर-बी-204 श्रीनाथ आर्चिड माला रोड स्टेशन कोटा, राजस्थान अंकित है परन्तु वाहन पर नम्बर प्लेट यूपी 67 जेड 2300 लगा मिला। उक्त वाहन का चेसिस नम्बर भी चेक किया गया तो नम्बर-MAT627221JLD19423 है जो वाहन संख्या- RJ 20 CF 4853 से सम्बन्धित है, उक्त वाहन को टी.आई. धनन्जय प्रताप सिंह द्वारा दिनाँक 10.02.2024 समय करीब 19.45 बजे सीज किया गया, जिसके सम्बन्ध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। उक्त वाहन सुरक्षार्थ यातायात लाइन्स कमिश्नरेट वाराणसी में खड़ी करायी गयी है। चूंकि उपरोक्त व्यक्ति द्वारा अपने ही वाहन पर गलत नम्बर प्लेट लगाकर सम्पत्ति को छिपाने की कोशिश की गयी है। जिसके विरूद्ध थाना- चेतंगज, जोन- काशी कमिश्नरेट वाराणसी में मु0अ0सं0-21/2024 धारा 424/482 भा0द0वि0 पंजीकृत कराया गया।

अपराध विवरण-

अशोक राय पुत्र स्व सुदर्शन राय निवासी बरखा चमेनिया थाना-धुंधली, जनपद-महाराजगंज उ0प्र0 द्वारा प्राप्त सूचना कि उनके वाहन संख्या यूपी 67 जेड 2300 का चालान गोदौलिया चौराहे पर हुआ है जबकि उक्त वाहन उनके घर पर खड़ी है, की जाँच में कमाण्ड सेन्टर पर मौजूद होकर जरिये सीसीटीवी फुटेज चेक किया जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पता-

1. अश्वनी कुमार सिंह पुत्र स्व राजकिशोर सिंह पता- फ्लैट नम्बर-बी-204 श्रीनाथ आर्चिड माला रोड स्टेशन कोटा, राजस्थान उम्र 39 वर्ष।

विवरण बरामदगी- एक अदद चार पहिया वाहन TATA NEXON जिस पर उक्त नम्बर प्लेट UP-67 Z2300 लगा हुआ।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1.TI श्री धनन्जय प्रताप सिंह सर्किल प्रभारी चेतगंज,यातायात पुलिस लाईन कमिश्नरेट वाराणसी।

3.TSI श्री दुर्गेश कुमार सरोज प्रभारी कमाण्ड सेण्टर सिगरा, यातायात पुलिस लाईन कमिश्नरेट वाराणसी।

3. हे0का0 रामदुलारे यादव, यातायात पुलिस लाईन कमिश्नरेट वाराणसी।

4.का0 प्रदीप सिंह , यातायात पुलिस लाईन कमिश्नरेट वाराणसी।

5. का0 राहुल कुमार साह , यातायात पुलिस लाईन कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल पुलिस
उपायुक्त, यातायात कमिश्नरेट
वाराणसी